



डॉ. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी फॉर हैण्डिकैप्ड, उ.प्र., कानपुर  
Dr. Ambekar Institute of Technology for Handicapped U.P. Kanpur

सामान्य याचिका/वादों की स्थिति

क्रमॉक	अपील/रिट याचिका वाद संख्या न्यायालय/अधिकरण का नाम	अपीलकर्ता/वादी याचिकाकर्ता/विपक्षीगण	तथ्यात्मक विवरण	अद्यतन स्थिति
01	याचिका सं. 44031/2005 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद	अजय कुमार बनाम ए0आई0टी0एच कानपुर एवं अन्य	श्री अजय कुमार कनिष्ठ लिपिक को अनुशासनहीनता कार्यों में उदासीनता एवं अन्य कई आरोपों के लिये दिनांक 04.04.2005 को निलंबित किया गया था। जिसके विरुद्ध यह याचिका दाखिल की गयी है किन्तु उससे पूर्व जांच अधिकारी की आख्या के अनुरूप दिनांक 31.05.2005 को इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थी।	लम्बित है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल है।
02	याचिका सं. 54485/2005 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद	अजय कुमार बनाम ए0आई0टी0एच कानपुर एवं अन्य	श्री अजय कुमार कनिष्ठ लिपिक की सेवायें दिनांक 31.05.2005 को समाप्त किये जाने के पश्चात यह याचिका सेवा समाप्ति के विरुद्ध दाखिल की गयी है।	लम्बित है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल है।
03	याचिका सं. 54485/2006 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद	रजत मिश्रा बनाम ए0आई0टी0एच कानपुर एवं अन्य	शैक्षिक सत्र 2006-07 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रेषित मेरिट की सामान्य श्रेणी लिस्ट में क्रमांक 28 पर श्री रजत मिश्रा का नाम था किन्तु सामान्य श्रेणी के 20 ही छात्र प्रवेशित किये जा सकते थे। अतः उनका प्रवेश न होने के कारण उनके द्वारा यह याचिका दाखिल की गयी थी। सत्र 2006-07 में प्रवेश का कोई औचित्य नहीं है।	लम्बित है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल है।
04	अभिनिर्णय विवाद 93/2001 श्रम न्यायालय कानपुर	नरेन्द्र सिंह बनाम ए0आई0टी0एच कानपुर एवं अन्य	सरिता इण्टरप्राइजेज के द्वारा संविदा पर भेजे गये दैनिक मजदूर नरेन्द्र कुमार ने संस्थान में कुछ दिन कार्य किया था जिस हेतु नियुक्ति की याचना की गयी।	बहस पूर्ण हो चुकी है। अवार्ड प्रतिक्षित है।
05	विविध याचिका संख्या 66577/2008 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद	सुरेश सिंह यादव बनाम उ0.प्र0 सरकार एवं अन्य	संस्थान में पिछडी जाति हेतु आरक्षित व्याख्याता कम्प्यूटर साइंस के पद हेतु दिनांक 20.06.2008 को प्रमुख सचिव व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न साक्षात्कार के फलस्वरूप श्री कौशलेन्द्र सिंह यादव की नियुक्ति की गयी थी। उक्त पद हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने वाले एक अन्य अभ्यर्थी सुरेश सिंह यादव द्वारा यह याचिका उक्त	लम्बित है।

			साक्षात्कार को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है।	
<b>06</b>	मूलवाद सं. 414 / 2007 सिविल जज जूनियर डिवीजन कानपुर	निदेशक ए0आई0 टी0एच कानपुर बनाम धर्मवीर यादव एवं अन्य	धर्मवीर यादव एवं उनके परिजनों द्वारा अवांछित रूप से संस्थान के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हुये संस्थान की अवमानना का प्रयास बार -2 किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है ।	लम्बित है।
<b>07</b>	वाद संख्या..... / 2009 सिविल कोर्ट कानपुर	ए0आई0टी0एच0 बनाम अवधेश कुमार मौर्या	अवधेश कुमार मौर्या द्वारा अनावश्यक रूप से संस्थान एवं निदेशक के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियाँ करने से रोकने हेतु संस्थान द्वारा यह वाद दायर किया गया।	लम्बित है। प्रतिवादी का वादोत्तर हेतु तिथि नियत है।
<b>08</b>	सी.बी. 15 / 2009, सहायक श्रम आयुक्त कानपुर	जगदीश प्रसाद बनाम ए0आई0टी0एच0	जगदीश कुमार मौर्या द्वारा पूर्व में दाखिल अभिनिर्णय वाद संस्थान के पक्ष में निर्णीत होने के पश्चात उनके द्वारा दाखिल याचिका भी फरवरी 2009 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गयी तत्पश्चात उनके द्वारा यह दूसरा वाद दायर किया गया ।	संस्थान की तरफ से आपत्ति दाखिल है।